

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 306/2011

संस्थापित दिनांक 19/05/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राजवीर उर्फ बंटी पुत्र जण्डेल सिंह उम्र 33 वर्ष
 2. मुन्ना बघेल पुत्र मुलू बघेल उम्र 60 वर्ष
- समस्त निवासीगण- इटायदा थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा- 451, 294, 341, 323/34, 506 भाग-2 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य।)

(आरोपी बंटी उर्फ राजवीर द्वारा अधिवक्ता-श्री सुरेश गुर्जर।)

(आरोपी मुन्ना द्वारा अधिवक्ता-श्री सुनील कांकर।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 30.03.2011 को सुबह लगभग 8:00 बजे फरियादी छोटेला ल के घर के सामने आम रोड़ झांकरी इटायदा रोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी छोटेला ल एवं रामसेवक, रामदेवी तथा सोमता को अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी छोटेला ल के निवासग्रह में उसके व उसके भाई को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित करने, फरियादी छोटेला ल तथा आहत रामसेवक, रामदेवी तथा सोमता को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी छोटेला ल एवं उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर उनका आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी छोटेला ल एवं आहत रामसेवक की लाठी, डंडों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भादसं की धारा 294, 451, 341, 506 भाग-2 एवं , 323/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक के एक दिन पहले आरोपी मुन्ना बघेल फरियादी छोटेला ल की जगह में भूसे का कूप लगा रहा था तो फरियादी छोटेला ल एवं रामसेवक ने उसे रोक लिया था, इसी बात पर घटना दिनांक 30.03.2011 को सुबह आठ बजे के करीब

आरोपी मुन्ना बघेल एवं जण्डेल सिंह ने आकर उसके भाई रामसेवक के घर पर आकर उसे मां बहन की गालियां दी थी और कहा था कि भूसे का कूप वहीं लगेगा, उसके घर की महिलाएँ, रामदेवी एवं सोमता ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो आरोपी मुन्ना एवं जण्डेल ने उन्हें भी गंदी गंदी गालियां दी थी तथा जब वह तथा उसका भाई रामसेवक, रामदेवी, सोमता कैलाश गुर्जर के टैक्टर से चौकी झांकरी आ रहे थे, तो मुन्ना जण्डेल सिंह व बंटी मोटरसाईकिल से आये थे तथा टैक्टर को रास्ते में रोककर उन लोगों को उतार लिया था और तीनों आरोपीगण ने उन्हें मां बहन की गालियां दी थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी एवं लाठी, डंडो तथा जूतों से फरियादी छोटेलाल की मारपीट की थी, जिससे उसके दाहिने हाथ, पीठ व शरीर में जगह-जगह चोटें आई थी। जब उसका भाई रामसेवक एवं भाभी रामदेवी उसे बचाने आई थी तो आरोपी जण्डेल सिंह, बंटी एवं मुन्ना बघेल ने उनकी भी लाठी, डंडों से मारपीट की थी तथा रिपोर्ट करने जाने नहीं दिया था एवं जान से मारने की धमकी दी थी, मौके पर सुरेश बघेल एवं गांव के कई लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी थी, फरियादी द्वारा शाम के समय घटना की रिपोर्ट चौकी झांकरी में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर चौकी झांकरी में अपराध क्र० 08/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था तत्पश्चात् पुलिस थाना मौ में अपराध क्र० 52/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी जण्डेल सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

5. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.03.2011 को सुबह करीबन 8 बजे फरियादी छोटेलाल के घर के सामने आम रोड़ झांकरी इटायदा रोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी छोटेलाल एवं आहत रामसेवक तथा रामदेवी व सोमता को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी छोटेलाल एवं आहत रामसेवक तथा रामदेवी एवं सोमता को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी छोटेलाल एवं आहत रामसेवक को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी छोटेलाल के निवासग्रह में

- उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?
5. क्या घटना दिनांक को फरियादी छोटेला ल एवं आहत रामसेवक के शरीर पर उपहतियां थी, यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 6. क्या उक्त उपहतियां फरियादी छोटेला ल एवं आहत रामसेवक को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रशरण में स्वेच्छया कारित की गई ?
 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से ए0एस0आई0 शेष देवभगत अ0सा0 1, फरियादी छोटेला ल अ0सा0 2, रामसेवक अ0सा0 3, सेवानिवृत्त एस0आई0 रामशंकर सिंह चौहान अ0सा0 4 तथा डॉ0. उपेन्द्र कुशवाह अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेला ल अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छः साल पहले की सुबह आठ बजे की है। मुन्ना बघेल उसकी जगह में भूसे का कूप लगा रहा था तो उसने व रामसेवक ने रोका था, इसी बात पर सुबह करीबन आठ बजे आरोपी मुन्ना एवं जण्डेल ने उसके भाई रामसेवक के घर पर आकर मां बहन की गालियां दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी, उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब वह व उसका भाई रामसेवक, भाभी रामदेवी बहू सोमता टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया था और उनकी भाभी को भी मां बहन की गालियां दी थी।

9. आहत रामसेवक अ0सा0 3 ने भी सभी आरोपीगण द्वारा उन्हें मां बहन की गालियां दिये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेला ल अ0सा0 2 एवं रामसेवक अ0सा0 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिये जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द अभिवंचित किये थे, जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिये जाने का आरोप है वहां साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थी, साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेला ल अ0सा0 2 एवं रामसेवक अ0सा0 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे जिन्हें सुनकर फरियादीगण को क्षोभ कारित हुआ था ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह टैक्टर से गया था तो आरोपीगण ने उससे पूछा था कि कहां जा रह हो, तो उसने कहा था कि रिपोर्ट करने जा रहा हूँ तो आरोपीगण उसकी मारपीट कर उसे बापिस लौटा लाये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह रामसेवक, रामदेवी, सोमता चौकी झांकरी पर कैलाश के टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण मोटरसाईकिल से आये थे और उनका रास्ता रोक लिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि टैक्टर उसने स्वयं हाथ देकर रूकवा दिया था, आरोपीगण ने टैक्टर स्वयं नहीं रूकवाया था, टैक्टर से वह लोग स्वयं उतर आये थे।

13. साक्षी रामसेवक अ०सा० 3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वह और उसका भाई छोटेला, पत्नि रामदेवी, बहू सोमता टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने उसके टैक्टर को रास्ते में रोक लिया था, प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि टैक्टर आरोपीगण ने जबरदस्ती रूकवाया था।

14. इस प्रकार फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि जब वह रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने आकर उनका रास्ता रोक लिया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि टैक्टर उन्होंने स्वयं हाथ देकर रूकवाया था, आरोपीगण ने टैक्टर नहीं रूकवाया था, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेला अ०सा० 2 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी छोटेला ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने स्वयं हाथ देकर हाथ रूकवा दिया था, आरोपीगण ने टैक्टर नहीं रूकवाया था। आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने रास्ते में उनके टैक्टर को रोक लिया था एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण ने जबरदस्ती टैक्टर रूकवाया था। इस प्रकार आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने जबरदस्ती टैक्टर रूकवाया था जबकि फरियादी छोटेला अ०सा० 2 का कहना है कि टैक्टर उसने स्वयं रोक लिया था, आरोपीगण ने टैक्टर नहीं रूकवाया था, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेला अ०सा० 2 के कथन रामसेवक अ०सा० 3 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी छोटेला अ०सा० 2 द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण द्वारा रोके जाने से वह अपनी इच्छित दिशा में जाने से बाधित हो गया था, ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादीगण को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया था ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०दं०सं० की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

15. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। इस

प्रकार फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 एवं रामसेवक अ०सा० 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 एवं रामसेवक अ०सा० 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने क्या कहा था, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०दं०सं० की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो, मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा०दं०सं० की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 एवं रामसेवक अ०सा० 3 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था, ऐसी स्थिति में भा०दं०सं० की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०दं०सं० की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4

16. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेलाल अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन मुन्ना बघेल उसकी जगह में भूसे का कूप लगा रहा था तो उसने व रामसेवक ने मुन्ना को रोका था, इसी बात पर सुबह करीबन 8 बजे मुन्ना एवं जण्डेल ने उसके भाई रामसेवक के घर पर आकर उसे मां बहन की गालियां दी थी तथा उसकी मारपीट की थी। आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण ने उसके घर आकर उसकी मारपीट की थी तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर उसकी मारपीट की थी।

17. इस प्रकार आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर उसकी मारपीट की थी, परन्तु यह बात फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 द्वारा नहीं बताई गई है और न ही इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपीगण ने आहत रामसेवक के घर में घुसकर मारपीट की थी, रामसेवक के पुलिस कथन प्र०डी० 2 में भी नहीं है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर रामसेवक अ०सा० 3 के कथन छोटेलाल अ०सा० 2 के कथन एवं पुलिस कथन प्र०डी० 2 से विरोधाभासी रहे हैं, जो उक्त बिन्दु पर आहत रामसेवक अ०सा० 3 के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

18. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण ने घटना दिनांक को रामसेवक के घर पर आकर गालियां दी थी, प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण ने रामसेवक के निवास गृह में घुसकर गृह अतिचार किया था। प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनास्थल फरियादी के घर के सामने आम रोड़ झांकरी इटायदा रोड़ वर्णित है तथा प्र०पी० 3 के नक्शेमौके में भी घटनास्थल फरियादी के घर के बाहर स्थित है, इस प्रकार प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा प्र०पी० 3 के नक्शेमौके से भी यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादीगण के निवास गृह में घुसकर गृहअतिचार कारित किया गया था। फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 ने भी यह नहीं बताया है कि आरोपीगण रामसेवक के घर में घुस गये

थे, ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी के निवास गृह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 451 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5

19. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० उपेन्द्र सिंह अ०सा० 5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 30.03.2011 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में पुलिस चौकी झांकरी थाना मौ के आरक्षक तिलक सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत रामसेवक का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रामसेवक के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई थी उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र०पी० 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत छोटेलाल का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने छोटेलाल के शरीर पर तीन चोटें पाई थी, जिनमें से चोट क्र० 1 पीठ के मध्य भाग में नीलगू निशान, चोट क्र० 2 बायीं कोहिनी पर नीलगू निशान एवं चोट क्र० 3 बाये गाल पर नीलगू निशान स्थित था, उसके बताये अनुसार उपरोक्त सभी चोटें सख्त एवं मौथरे हथियार द्वारा पहुंचाई गई थी, जो कि उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 24 घंटे के अंदर की थी, चोट क्र० 2 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्स-रे की सलाह दी थी, चोट क्र० 1 एवं 3 सामान्य प्रकृति की थी, उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आहत छोटेलाल का एक्स-रे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान आहत के कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था, उसकी एक्स-रे रिपोर्ट प्र०पी० 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत छोटेलाल को आई चोटें टैक्टर ट्रॉली पलटने एवं गिरने से आना संभव है।

20. फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके पैर, पेट में चोट आना बताया है आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने भी झगड़े के दौरान फरियादी छोटेलाल के हाथ एवं पीठ में जगह-जगह चोटें होना बताया है, उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन फरियादी छोटेलाल के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है, प्र०पी० 1 एवं 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी छोटेलाल के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेलाल का कथन प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्टि रहा है, उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेलाल अ०सा० 2 के कथनों की पुष्टि डॉ० उपेन्द्र सिंह अ०सा० 5 द्वारा भी की गई है। डॉ० उपेन्द्र सिंह अ०सा० 5 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है, उसकी फरियादीगण से कोई हितवद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी छोटेलाल के शरीर पर उपहति होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

21. फलतः उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आहत रामसेवक के शरीर पर कोई दर्शनीय चोट नहीं थी एवं यह भी प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी छोटेलाल के शरीर पर उपहतियां थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6

22. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग 6 साल पहले की सुबह 8 बजे की है, मुन्ना बघेल उसकी जगह में भूसे का कूप लगा रहा था तो उसने व रामसेवक ने रोका था, इसी बात पर सुबह आठ बजे मुन्ना एवं जण्डेल ने उसके भाई रामसेवक के घर पर आकर उसे मां बहन की गालियां दी थी, उसके बाद आरोपी मुन्ना, जण्डेल एवं बंटी ने उसकी मारपीट की थी, फिर वह टैक्टर से गया था तो आरोपीगण ने उससे पूछा था कि कहा जा रहे हो, तो उसने कहा था कि रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो आरोपीगण ने फिर उसकी मारपीट की थी और उसे बापिस लौटा लाये थे, जण्डेल ने उसके लाठी मारी थी, जो उसकी उल्टी बांह में लगी थी, जण्डेल और बंटी ने उसके लातें मारी थी जो उसकी छाती, पैर और पेट में लगी थी तथा मुन्ना ने उसे घूसे व पैर से मारा था जिससे उसके पूरे शरीर में चोटे आई थी, रिपोर्ट करने के लिए वह व उसका भाई रामसेवक, भाभी रामदेवी, बहू सोमता टैक्टर से जा रहे थे तो आरोपीगण ने उन्हें बीच रास्ते में उतार लिया था तथा उन्हें रिपोर्ट नहीं करने दी थी तथा आरोपीगण अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर उन्हें वापस ले आये थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना झांकरी में की थी, जो प्र0पी0 2 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है, नक्शामौका प्र0पी0 3 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह कैलाश के टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण मोटरसाईकिल से आये थे, आरोपीगण ने उनका रास्ता रोका था तथा लाठी, जूतों व डंडों से उसकी मारपीट की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि जब उसका भाई रामसेवक एवं भाभी रामदेवी उसे बचाने आई थी तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की थी।

23. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे ध्यान नहीं है कि वह कितने बजे रिपोर्ट करने गया था, पद क्र0 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि टैक्टर उन्होंने स्वयं हाथ देकर रूकवा दिया था, आरोपीगण ने टैक्टर नहीं रूकवाया था, मोटरसाईकिल पर बंटी एवं जण्डेल सिंह थे उसके उतरने के बाद झगड़ा हुआ था, झगड़ा 15-20 मिनट चला था, उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि जब झगड़ा हुआ था तो वह उसका भाई, उसकी भाभी, बहू, बंटी एवं जण्डेल के अलावा और कोई नहीं था, पद क्र0 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि गांव में जब बंटी ने उसके भाई रामसेवक को उतारा था तो उसके सिर में चांटा मारा था फिर वह शाम को साढ़े छः पौने सात बजे छिपकर रिपोर्ट करने गये थे, पद क्र0 8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0 2 और प्र0पी0 3 की लिखा पढ़ी पुलिस करके लाई थी और पुलिस ने उसके घर पर आकर उसका निशानी अंगूठा लगा लिया था। पद क्र0 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह लोग रिपोर्ट करने जा रहे थे तो जण्डेल सिंह और बंटी उन लोगों को खाली हाथ मोटरसाईकिल से लौटाने के लिए गये थे। मारपीट में उसके उल्टे हाथ में चोट आई थी।

24. आहत रामसेवक अ०सा० 3 द्वारा भी फरियादी छोटेला अ०सा० 2 के कथन का समर्थन किया गया है एवं आरोपीगण पर उसकी एवं छोटेला की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया गया है।

25. ए०एस०आई शेषदेव भगत अ०सा० 1 द्वारा प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रमाणित किया गया है एवं सेवानिवृत्त एस०आई० रामशंकर सिंह चौहान अ०सा० 4 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

26. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

27. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी मुन्ना बघेल उसकी जगह में भूसे का कूप लगा था तो उसने व रामसेवक ने रोका था, इसी बात पर सुबह करीबन 8 बजे आरोपी मुन्ना जण्डेल ने उसके भाई रामसेवक के घर आकर उसे गालियां दी थी तथा मुन्ना, जण्डेल एवं बंटी ने उसकी मारपीट की थी फिर वह टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहा था तो आरोपीगण ने उससे पूछा था कि कहां जा रहे हो तथा फिर उसकी मारपीट की थी और उसे बापस लौटा लाये थे, जण्डेल ने उसकी उल्टी बांह में लाठी मारी थी, बंटी ने उसे लाते मारी थी तथा मुन्ना ने घूसे व पैरों से उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने अपने परीक्षण के पद क्र० 3 में यह भी स्वीकार किया कि जब उसका भाई रामसेवक एवं भाभी रामदेवी ने उसे बचाने की कोशिश की थी तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की थी।

28. इस प्रकार फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन सुबह करीबन 8 बजे आरोपी मुन्ना, बंटी एवं जण्डेल ने घर आकर उसकी मारपीट की थी एवं जब वह तथा उसके भाई, भाभी रिपोर्ट करने जा रहे थे, तब भी आरोपीगण ने रास्ते में आकर उसकी, उसके भाई रामसेवक एवं भाभी रामदेवी की मारपीट की थी, परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपीगण ने सुबह रामसेवक के घर आकर फरियादीगण की मारपीट की थी, रिपोर्ट प्र०पी० 1, प्र०पी० 2 एवं फरियादी छोटेला तथा आहत रामसेवक के पुलिस कथन में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि फरियादी छोटेला की मारपीट दो बार की थी, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेला अ०सा० 2 के कथन प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किंचित विरोधाभासी रहे हैं एवं उक्त बिन्दु पर फरियादी छोटेला अ०सा० 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाये, अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है परन्तु मात्र इस आधार पर फरियादी छोटेला के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

29. फरियादी छोटेला अ०सा० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि जिस टैक्टर से वह लोग जा रहे थे, वह कौन चला रहा था, उसे याद नहीं है तथा उसे यह भी ध्यान

नहीं है कि वह कितने बजे रिपोर्ट करने गया था, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 30.03.2011 की है एवं फरियादी छोटेला ल अ०सा० 2 के कथन न्यायालय में दिनांक 17.05.2017 को हुए हैं, ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने के कारण उक्त साक्षी के कथनों में उक्त विसंगति होना स्वाभाविक है एवं मात्र उक्त विसंगति से सम्पूर्ण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

30. जहां तक आहत रामसेवक अ०सा० 3 के कथन का प्रश्न है तो आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपी मुन्ना, बंटी एवं जण्डेल द्वारा घटना वाले दिन घर आकर उनकी मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि जब वह, उसका भाई छोटेला ल, पत्नि रामदेवी एवं बहू सोमता टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने उनका टैक्टर रास्ते में रोक लिया था तथा छोटेला ल को उतारकर आरोपीगण ने छोटेला ल की मारपीट की थी एवं जब उसने व उसकी पत्नि ने बचाने की कोशिश की थी तो आरोपीगण ने उसकी व उसकी पत्नि की भी लाठी व हाथ पैरों से मारपीट की थी जिससे उसके पीठ एवं सिर में जगह-जगह चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर उन लोगों की मारपीट की थी फिर वह रिपोर्ट करने जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर तीनों आरोपीगण आये थे और तीनों आरोपीगण ने उन्हें ट्रॉली से जबरदस्ती पकड़ पकड़कर सड़क पर पटक लिया था।

31. इस प्रकार आहत रामसेवक ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी एवं उसकी पत्नि रामदेवी की मारपीट करना भी बताया है, जहां तक आरोपीगण द्वारा रामसेवक एवं रामदेवी की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि रामदेवी को अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया जा सका है। फरियादी छोटेला ल अ०सा० 2 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा रामसेवक एवं रामदेवी की भी मारपीट करना बताया है। आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा छोटेला ल के अतिरिक्त उसकी एवं रामदेवी की भी मारपीट करना बताया है परन्तु आहत रामसेवक अ०सा० 3 एवं रामदेवी की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न नहीं है, यद्यपि भा०दं०सं० की धारा 323 को प्रमाणित होने के लिए चोटों का दर्शनीय होना आवश्यक नहीं है परन्तु आहत रामसेवक अ०सा० 3 का ऐसा कहना नहीं है कि मारपीट में उसके शरीर पर कोई दर्शनीय चोट नहीं आई थी इसके विपरीत उक्त साक्षी ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि मारपीट में उसके सिर, पीठ एवं शरीर में जगह-जगह चोटें आई थी तथा यह भी बताया है कि उसके शरीर में बहुत चोटे आई थी जिनकी वह गिनती नहीं बता सकता है, इस प्रकार आहत रामसेवक अ०सा० 3 ने स्वयं अपने कथन में मारपीट के दौरान उसके शरीर पर काफी चोटे आना बताया है परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 8 में आहत रामसेवक के शरीर पर कोई चोट होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में आहत रामसेवक अ०सा० 3 का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं रहा है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने आहत रामसेवक की भी मारपीट की थी।

32. जहां तक आरोपीगण द्वारा रामदेवी की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो रामदेवी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है एवं रामदेवी की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अभिलेख में संलग्न नहीं है, ऐसी स्थिति में संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान रामदेवी की भी मारपीट की थी।

33. जहां तक आरोपीगण द्वारा फरियादी छोटेलाल की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो फरियादी छोटेलाल ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जब वह टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहा था तो आरोपी जण्डेल, मुन्ना व बंटी ने उसकी मारपीट की थी, बंटी ने उसके लातें मारी थी और मुन्ना ने घूंसे व पैरों से उसकी मारपीट की थी। साक्षी रामसेवक अ0सा0 2 ने भी आरोपीगण द्वारा छोटेलाल की मारपीट करना बताया है। उक्त दोनों साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों साक्षीगण का कथन आरोपीगण द्वारा छोटेलाल की मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तुच्छ विसंगति को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

34. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 एवं रामसेवक अ0सा0 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है, यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 के कथन आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है, उसके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

35. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान थी तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट की जा सकती है अतः रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

36. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेलाल ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि जब वह टैक्टर से रिपोर्ट करने जा रहा था तो आरोपी जण्डेल, मुन्ना व बंटी ने उसकी मारपीट की थी, बंटी ने उसके लातें मारी थी और मुन्ना ने घूंसे व पैरों से उसकी मारपीट की थी। साक्षी रामसेवक अ0सा0 2 ने भी आरोपीगण द्वारा छोटेलाल की मारपीट करना बताया है। उक्त दोनों साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों साक्षीगण का कथन आरोपीगण द्वारा छोटेलाल की मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तुच्छ विसंगति को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 1 एवं 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो, वहां उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

37. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत रामसेवक की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी मुन्ना एवं बंटी ने फरियादी छोटेलाल की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

38. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी छोटेलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी छोटेलाल की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी ? यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी छोटेलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था या नहीं, इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही किया जा सकता है, उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है, प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 ने सभी आरोपीगण द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उसकी मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि आरोपी बंटी ने उसके लाते मारी थी और मुन्ना ने उसे घूसें एवं पैरों से मारा था। इस प्रकार फरियादी छोटेलाल अ0सा0 2 के कथनों से यह दर्शित है कि आरोपी बंटी एवं मुन्ना ने एक साथ आकर फरियादी छोटेलाल की मारपीट की थी ऐसी स्थिति में जबकि सभी आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने में भाग लिया जा रहा हो, आरोपीगण के कृत्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी छोटेलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी छोटेलाल की मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई थी।

39. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी छोटेलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनी है कि अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी छोटेलाल रिपोर्ट करने जा रहा था एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी छोटेलाल की रिपोर्ट करते जाते समय लात घूसां से मारपीट की गई थी, मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादी छोटेलाल की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी छोटेलाल को उपहति होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी छोटेलाल को उपहति कारित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी छोटेलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

40. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत रामसेवक की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को आहत रामसेवक की मारपीट के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

41. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 30.03.2011 को सुबह 8 बजे फरियादी छोटेलाल के घर के सामने झांकरी इटायदा

रोड़ पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी छोटेलाल की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। फलतः यह न्यायालय आरोपी मुन्ना बघेल एवं राजवीर उर्फ बंटी को फरियादी छोटेलाल की मारपीट के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अंतर्गत दोषी पाती है।

42. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी मुन्ना बघेल एवं राजवीर उर्फ बंटी को भा0दं0सं0 की धारा 294, 341, 506 भाग-2, 451 एवं आहत रामसेवक की मारपीट के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को फरियादी छोटेलाल के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

43. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: -

44. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

45. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2011 से विचारण की पीढ़ा को झेल रहे हैं। अतः फरियादी छोटेलाल की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी मुन्ना बघेल एवं राजवीर उर्फ बंटी में से प्रत्येक को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दस-दस दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

46. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

47. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

48. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में धारा 428 द. प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23/03/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)